स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ ( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/46 दिनांक : 23/12/2015

जिला कलक्टर समस्त
प्राचार्य मेडिकल कॉलेज,(समस्त)
अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पताल, (समस्त)
जिला नोडल अधिकारी समस्त,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)

विषय :– दिनांक 13.12.2015 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के सम्बन्ध में।

जिले में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना दिनांक 13.12.2015 से लागू की जा रही है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) चयनित सभी पात्र व्यक्तियों को लाभ दिये जाने एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित जिन पात्र व्यक्तियों के नवीन डिजिटल राशनकार्ड आदिनांक तक बनने से/भामाशाह पोर्टल पर फिडिंग से शेष है, उन सभी पात्र व्यक्तियों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने हेतु एक प्रमाण–पत्र संलग्न अनुसार जारी किया जावें ताकि कोई भी खाद्य सुरक्षा लाभ प्राप्त व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे।
2. ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम सचिव प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
3. शहरी क्षेत्र में प्रमाण पत्र आयुक्त, नगर निगम, अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम के राजस्व अधिकारी अथवा इनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे।
4. प्रार्थी को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उक्त प्रमाणपत्र से की गई अनुशंषा के आधार पर ही प्राप्त होगा।
5. संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रार्थी को उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के समस्त लाभ देय होगें।
6. सभी ग्राम सचिव पर्ची पर गॉव का सैन्सस कोड एवं परिवार का NFSA कोड अंकित किया जाना सुनिश्चित करेगें, जिससे की जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फिडिंग में दर्ज नहीं हुआ है उन्हें भी योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। इसके लिए ग्राम सचिव गांव के सैन्सस कोड की एक सील बनवाकर रख ले एवं पर्ची पर सील द्वारा कोड अंकित करें एवं परिवार का NFSA कोड पर्ची पर लिखे ताकि इस सम्पूर्ण कोड को यूनिक आई.डी के रूप में यूज किया जा सके।

(डॉ. नीरज के. पवन)
सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांकः एफ ( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/46 दिनांक : 23/12/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
7. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
8. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित परिवार जिनके नवीन डीजिटल राशन कार्ड अभी तक नहीं बने है अथवा राशन कार्ड की ऑन लाईन फिडिंग अभी तक पूर्ण नहीं हुई है ऐसे परिवारों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ देने हेतु जारी

प्रमाण पत्र

गांव अथवा शहर का सैन्सस कोड /परिवार का (NFSA) कोड :–

आज दिनांक ....को यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री...
....(प्रार्थी) का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व ग्राम...ग्रामपंचायत .... की चयनित सूची के क्रम संख्या...................................पर दर्ज है एवं परिवार का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	नाम	उम्र	लिंग	मुखिया से संबंध

यह प्रमाण पत्र केवल भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के देय लाभ प्राप्त करने हेतु जारी किया गया है।

हस्ताक्षर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी
(ग्राम सचिव)

Scanned by CamScanner